प्रेषक,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

1. अपर निदेशक, माध्यमिक/बेसिक
   गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी,
   उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्राचार्य,
   जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0),
   उत्तराखण्ड।

पत्रांक–विविध/9033-87/सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन/2016–17 दि0 15 जुलाई,2016

विषय– **सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन (CCE) के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–1738/XXIV(1)/215–29/2006 दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 जो राज्य के समस्त राजकीय सहायक प्राप्त, अशासकीय प्राथमिकएवं उच्च प्राथमिक विद्यालय, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालयों में, जहां कक्षा 1– से 8 तक की कक्षाएं संचालित है, में CCE को क्रियान्वित किए जाने से सम्बन्धित था, सभी मुख्य शिक्षाधिकारियों को इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक–बेसिक/18071–79/विविध / CCE/2015–16 दि0 7 नवम्बर, 2015 द्वारा जनपद के विद्यालयों में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन को क्रियान्वित किए जाने हेतु निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देश में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य, अध्यापकों की भूमिका, स्व–मूल्यांकन प्रपत्र, CCE पंजिका एवं प्रगति पत्र, जिसमें कि छात्र/छात्राओं को निर्धारित दक्षताओं की प्राप्ति हेतु निर्देशों को लागू किया जाना था। उक्त निर्देश के क्रम में जनपदों में कार्यरत् शिक्षकों को विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है, परन्तु अद्यतन वस्तुस्थिति एवं छात्र/छात्राओं द्वारा निर्धारित दक्षताओं को प्राप्त कर लिया गया है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में कोई जानकारी निदेशालय को प्राप्त नहीं हुई है।

सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन पर क्रियान्वयन सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रारूप निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार शत–प्रतिशत विद्यालयों का निरीक्षण कर विभिन्न कक्षाओं हेतु निर्धारित संकेतकों के आधार पर, विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं की दक्षता की वस्तुस्थिति तथा CCE को लागू किए जाने की अद्यतन स्थिति को अभियान के रूप में चलाकर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के अन्तर्गत उप शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने विकास खण्ड के अन्तर्गत शत–प्रतिशत विद्यालयों का निरीक्षण करेगें तथा निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं जनपद को देगें तथा उसे जनपद स्तरीय अधिकारी को उपलब्ध कराएगें। जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/ बेसिक व मुख्य शिक्षा अधिकारी तथा डायट के प्राचार्य व ब्लाक मेण्टर भी

.....2

विद्यालयों का भ्रमण कर उक्त सूचनाओं को संकलित करेगें। अध्यापक, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, उप शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा जनपद स्तरीय अधिकारी (माध्यमिक एवं बेसिक) एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी इस आशय का प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करेगें।

अभियान प्रारम्भ किए जाने से पूर्व बैठक आहूत कर मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/बेसिक) समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों, उप शिक्षा अधिकारियों, डायट प्राचार्य व डायट के ब्लाक मेण्टर्स की बैठक आहूत कर सम्बन्धित समस्त अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश देगें। उक्त के सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो तो श्री बी0पी0 मैन्दाली, समन्वयक (मोबाइल नम्बर–9412364871) एवं डा0 अंकित जोशी, प्रवक्ता (मोबाइल नम्बर–9412931999) से पृच्छा की जा सकती है।

उक्त कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2016 को पूर्वाह्न 10.00 बजे शुभारम्भ वीडियो कान्फ्रेसिग के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी सूचना आपको पृथक से प्रेषित की जाएगी।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,
15/7/16
(सीमा जौनसारी)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा
उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– विविध/9033–07/सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन/2016–17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान/रमसा, उत्तराखण्ड ।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

15/7/16
(सीमा जौनसारी)
निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा
उत्तराखण्ड।